Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 33–2024] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 13, 2024 (SRAVANA 22, 1946 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विरासत तथा पर्यटन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जुलाई, 2024

संख्या 12/250–सोलह राही–2024/पुरा/2321-27.— चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवेशेषों और प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों का हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) के अधीन संरक्षण अपेक्षित है;

इसलिए, अब, हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक के संरक्षित संस्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तिथि से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हों, के साथ,जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विरासत तथा पर्यटन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाए, पर विचार करेगी।

अनुसूची

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील/जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र कनाल–मरला	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
सोलह राही तालाब 18वीं शताबदी पूर्व	सोलह राही तालाब 18वीं शताबदी पूर्व	रेवाड़ी	रेवाड़ी	लाल डोरा नगर पालिका समिति	33 कनाल – 5 मरला	निजी स्वामित्व (राज कुमार, प्रेम कुमार एवं अन्य)	सोलह राही तालाब, रेवाडी शहर के सेक्टर–1 के पास और नेहरू पार्क के बगल में स्थित यह बडा तालाब है, जिसका निर्माण 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान भीड–फंडिग द्वारा किया गया था। रेवाडी हमेशा से पानी की कमी वाला शहर रहा है और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सार्वजनिक कार्यो के हिस्से के रूप में तालाबों की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया था। इसके अलावा, शहर की जल आपूर्ति खारी थी और इस प्रकार पीने योग्य पानी की सुविधा के लिए स्थानीय

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील/जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र कनाल–मरला	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
							लोग इस तालाब के आसपास बने कुओं पर निर्भर रहते थे। इस तालाब का निर्माण गंगाराम भगत के तत्वावधान में करवाया गया था। सोलह राही नाम का वास्तविक अर्थ है, वह स्थान जहां 16 रास्ते मिलते है।

कला रामचंद्रन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विरासत तथा पर्यटन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HERITAGE AND TOURISM DEPARTMENT

Notification

The 3rd July, 2024

No. 12/250-Solah Rahi-2024/pura/2321-27.— Whereas the Governor of Haryana is of the opinion thatarchaeological sites and remains and ancient and historical monuments specified in column 1 of the Schedule given below requires protection under the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964), the Governor of Haryana hereby proposes to declare the ancient and historical monuments specified in column 1 of the Schedule given below, to be protected archaeological sites and remains specified in columns 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the said Schedule to be protected area.

Notice is hereby given that the proposal shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, from any person with respect to the proposal which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Heritage and TourismDepartment, Chandigarh before the expiry of the period so specified: -

SCHEDULE

Name of ancient and historical monuments	**Name of archaeological sites and remains**	**Name of village/ city**	**Name of tehsil/ district.**	**Revenue Khasra/ Kila number under protection.**	**Area to be protected Kanal-Marla**	**Ownership**	**Remarks**
1	2	3	4	5	6	7	8
Solah Rahi Talab, 18th Century CE	Solah Rahi Talab, 18th Century CE	Rewari	Rewari	Lal Dora (Municipal Council)	33Kanal 05 Marla	Private ownership (Raj Kumar, Prem Kumar and etc.)	Solah Rahi Talab located near Sector 1 in Rewari town, and next to Nehru Park is this large pond that was constructed by crowd-funding during the Mughal era in the 17th and 18th centuries. Rewari has always been a water-scarce town, and to overcome these hardships, a series of ponds were constructed as part of public works. Moreover, the town's water supply was salty, and thus for potable water facilities, locals used to rely on wells made around this pond. This pond was built under the aegis of Gangaram Bhagat. The name Solah Rahi actually means, a place where 16 paths meet.

KALA RAMACHANDRAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Heritage and Tourism Department.

11222—C.S.—H.G.P., Pkl.